INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

स्वर्गीय श्री भगवान सिंह स्मारक ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 23–2–2007 को मीरजापुर में जयकुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री भगवान सिंह निवासी–ग्राम पतार कलां, पो0–दुवार कलां, लालगंज मीरजापुर उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया है जिन्हे आगे न्यास कर्ता / संस्थापक कहा जायेगा क्योकि न्यास कर्ता / संस्थापक पर रूपया 20000/– (बीस हजार) की राशि है जिसे की वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता / संस्थापक उक्त राशि को अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। क्योकि यह स्वर्गीय श्री भगवान सिंह स्मारक ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगी जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यास कर्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतो से दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनो को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यो में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता / संस्थापक में अपनी इच्छा के अनुकूल 20000/– रूपया (बीस हजार) नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

और क्योकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजिकृत कार्यालय ग्राम पतार कलां, पोस्ट दुबार कलां, लालगंज मीरजापुर उ0प्र0। एवं प्रशासनिक कार्यालय सुरेकापुरम, कालोनी, बथुआ, मीरजापुर होगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्योकि न्यास कर्ता / ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारावद्ध घोषित किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

धनराशि ....
६६४४
५७

(स्टाम्प विक्रेता का पूरा नाम)
लाइसेंस नम्बर-3
लाइसेंस की अवधि.......31.3.06
अधिकृत विक्रय करने का स्थान व पूरा पता
उप निबन्धक कार्यालय लालगंज-मीरजापुर

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AA 201366

अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेल–कूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय, आदि सभी विभागो के कार्यक्रम का संचालन करना।

10– आई0आई0टी0, आई0टी0आई0, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथिरैपी, आदि मेडिकल कालेजो एवं इंजिनियरिंग कालेजो की स्थापना एवं संचालन करना।

11– समाज के लोगो के लिए हास्पिटल नर्सिगहोंग, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाईपिंग, कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।

12– पुस्तकालय, वाचनालय, पत्रपत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण, विक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

13– विभिन्न विषयो एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यहारिक, प्रयोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीणा, मार्शल आर्ट संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक, भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

14– विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास, आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना।

15– पुस्तकों साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।

16– सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएँ, बैइके, विशेष कक्षाए सत्र प्रात्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।

17– सिलाई कढ़ाई, बुनाई, स्क्रिन प्रिटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना एवं हस्त कला, शिल्प कला, कताई, केन्द्रो की स्थापना करना एवं संचालन करना।

18– ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय अर्न्तराष्ट्रीय संगठनो संस्थाओं व्यक्तिओं से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

19– विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।

20– आयुर्वेदिक औषधिओं का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] दिनांक = 19-2-87

[illegible] 868

[illegible]

द. ग्राम [illegible]

हस्ताक्षर [illegible]

31/37

90

[illegible]

स्टाम्प विक्रेता का पूरा नाम

लाइसेंस नं.-4

[illegible] 31-3-87

[illegible]

तहसील [illegible], [illegible], म.प्र.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AA 201367

21– कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार प्रसार कर सकना।

22– पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं प्रर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।

23– एड्स के बारे में जन–जागरण करने हेतु प्रचार प्रसार कर सकना।

24– पुस्तकें/पुस्तिकाएँ पत्र–पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि को प्रकासित सम्पादित वितरित विक्रित कर सकना।

25– ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए शुल्क/मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

26– पत्राचार द्वारा अध्यापन अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्स विधित आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।

27– उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयो पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

28– धार्मिक स्थलो का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।

29– जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।

30– विभिन्न आयोजनो एवं कारणों हेतु छात्रवृति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

31– ट्रस्ट के कोष एवं संम्पदा में वृद्धि करना विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य मे प्रयोग कर सकना।

32– ट्रस्ट जन समान्य के द्वितीय कार्य करेगा ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाये/वस्तुएँ लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खड़न्जा, तालाबों, का निर्माण मछली पालन पशु पालन आदि का प्रचार कर सकना।

33– बाल श्रमिको के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमो का संचालन करना तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास संम्बन्धी कार्यक्रमो का संचालन करना।

34– ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट की उद्देश्यो की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

ओमकुमारसिंह

Scanned with OKEN Scanner

19-2-07

मूहद

कृष्ण भगवान सिंह सारेन

मूहद ग्राम पताकेला जिला ...

3482

70

31-3-07

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 201368

35– किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पालि क्लिनिक का निर्माण करना।

36– किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजो की जानकारी देना फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।

प्रारम्भिक उपबन्ध–

1– वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से जयकुमार सिंह जो कि न्यास कर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है। को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

2– यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष जयकुमार सिंह द्वारा रजिस्टार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो जयकुमार सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा पुत्र इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे।

3– वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष अपने जीवन काल में जब चाहें अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारियो को स्थानान्तरित कर सकते है।

4– यदि जयकुमार की मृत्यु के समय उनका पुत्र नाबालिक हो तो उनकी ओर से उनकी माँ श्रीमती नीरज सिंह मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्य तब तक संभालेगी जब तक की उनका बड़ पुत्र बालिग न हो जायें।

मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी / हस्तान्तरण–

1– मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।

2– मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता

Scanned with OKEN Scanner

19-2-9)

स्टाम्प विक्रय की तिथि ....

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन : इकरार

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता : श्री भगवान सिंह ....

इकरार ग्राम .... जिला ....

स्टाम्प की धनराशि ....

[illegible]

10

[illegible]

81-3-9)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु 10 Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 201369

है।

3– किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगे जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये है।

4– मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनिजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओ से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

5– मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे मैनेजिग ट्रस्टी अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्टार के यहां रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैंनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में की गयी वसीयत/इच्छा व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैंनेजिग ट्रस्टी अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा।

7– कार्यरत मैनेंजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकार हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंन्त्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।

8– कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्य भार हस्तानान्तरण समस्त अधिकारो सहित पूर्ण माना जायेगा।

<u>बोर्ड आफ ट्रस्टीज–</u>

(19-21-77)

मुहर

श्री भगवान सिंह सोलंकी

मुहर ग्राम पता [illegible]

3/24

10

[illegible]

31-3-77

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये ₹ 10
TEN RUPEES Rs. 10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AA 201370

1— यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयो पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमे कि अधिकतम 21 सदस्य होगे।

2— यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

3— यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक आयोजित कर सकता है। जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष स्वयं करेगा।

4— यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्ही विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5— यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य तथा अन्तिम होगा।

अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएँ—

1— यह कि अध्यक्ष ट्रस्टी को टस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिग ट्रस्टी अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

2— यह कि ट्रस्टी अध्यक्ष अपना उत्तरदयित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेह भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।

Scanned with OKEN Scanner

14-2-07

[illegible]

[illegible]

57-3-07

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

24AA 201371

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

<u>कार्यक्षेत्र–</u>

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा तथा समाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है। अथवा सहायता व राय दे सकता है।

<u>मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष का विशेषाधिकार–</u>

मैनजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्ट अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्य कलापो में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है। जो सभी सम्बन्धित पक्षो को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

<u>सचिव/उपसचिवो की नियुक्ति–</u>

1– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवो की नियुक्ति कर सकेगा।

2– यह कि सचिव/उपसचिवों की वेतन भत्ते सुविधाएं, कार्य नियम मैनेजिग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए जायेगे।

3– यह कि उक्त सचिव उप सचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियो के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशन्सनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पक्षो के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

19-2-07

श्री भगवान सिंह (साक्ष) [illegible]

[illegible]

31-3-07

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 201372

<u>उपाध्यक्ष की नियुक्ति–</u>

1– मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम् दो उपाध्यक्षो की नियुक्ति कर सकेगा।

2– यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षो के वेतन भत्ते सुविधाए का कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगें।

3– यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षो मैनेजिंग ट्रंस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद प्रर्यन्त कार्य करेगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कारण बताये उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियो के विरूद्ध प्रशासनिक अनुसाशनात्मक प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्ति को उनके पदो से हटा सकता है तथा इन पदो पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदो के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

<u>अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–</u>

यह कि इस ट्रस्ट डिड के अंन्तर्गत अध्यक्ष ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकारो एवं कर्तव्यो के अतिरिक्त अध्यक्ष ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य होगें।

1– बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

2– ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढ़ग से देख–रेख करने के लिए उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

3– इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में शंसोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

स्टाम्प ... की तिथि 19-2-07

... ट्रस्ट

... ट्रस्ट श्री भगवान सिंह स्मारक ट्रस्ट ग्राम पोस्ट ... [illegible]

3-26

10

स्टाम्प विक्रेता का पूरा नाम ...

... 07-3-07

... तहसील ... बांसगांव, गोरखपुर

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 201373

उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष ट्रस्टी की अनुपस्थित में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नही ले सकता है।

सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य–

ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार–

1- ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।

2– ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापो एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियो पर नियन्त्रण रखना।

3– ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्वअनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।

4– विभिन्न कार्यकलापो उद्देश्यो को पूर्ण करने हेतु कोष्ठो / विभागाकेन्द्रो / संस्थाओं / उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजको / निदेशको पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम उपनियम बना सकना।

5– ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जांच निर्णायक नियुक्त कर सकना।

6– एक से अधिक विशेषकार्यधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।

7– प्रचार / प्रसार / मुद्रण / प्रकाशन / वितरण / विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

8– जन सामान्य के कल्याणर्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य–

Scanned with OKEN Scanner

19-2-07

हस्ता

[illegible] श्री भगवान सिंह [illegible]

[illegible] ग्राम पलाकेदार जिला सीकर [illegible]

[illegible] / 17

निरीक्षक [illegible]

31-3-07

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES RS. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

24AA 201374

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11

सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

1– सचिव द्वारा लिखित रूप से अधिकृत करने पर उन अधिकारो/कर्तव्यो का पालन करना जो उसे लिखित

2– रूप से प्राप्त है।

3– सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यो का पालन करना।

<u>बैंक एकाउन्ट–</u>

1– ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशो के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।

2– ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/ संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथकनाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

<u>विधिक कार्यवाही–</u>

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

<u>सम्पत्ति सम्बन्धी–</u>

Scanned with OKEN Scanner

19-2-07

[illegible]

[illegible] श्री [illegible] सिंह [illegible]

[illegible] ग्राम [illegible]

[illegible]

१०

31-3-07

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AA 201375

1— ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।

2— ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई लिर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3— ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

4— ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय विक्रय कर सकता है रेहन रख सकता है किराये पर दे सकता है ले सकता है अथवा दे सकता है।

5— ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेट सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

6— ट्रस्ट धन को कही भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना मे धन सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

7— चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति भाड़ा क्रय अनुज्ञप्ति बन्धक भारित गिरवी विभाजित आदि कर सकता है ले सकता है दे सकता है।

विशेष—

1— इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय महाविद्यायल कार्यक्रम/ईकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट स्वर्गीय श्री भगवान सिंह स्मारक ट्रस्ट के उद्देश्य एवं

प्रमकुमारी सिंह

Scanned with OKEN Scanner

19-2-07

31-3-07

तहसील कपासन, जिला: [illegible]

रु

नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगें।

2— अध्यक्ष ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियो में इस ट्रस्ट डीड के किसी किन्ही प्राविधान/प्राविधानो को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की किसी कार्यवाही को कही भी किसी न्यायालय मे चुनौती नही दी जा सकेगी। स्वर्गीय श्री भगवान सिंह स्मारक ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्नहित स्वर्गीय श्री भगवान सिंह स्मारक ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वरा अधिनियमित अनुमोदित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार मे लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

(हस्ताक्षर)

(जयकुमार सिंह)
संस्थापक/अध्यक्ष
स्वर्गीय श्री भगवान सिंह स्मारक ट्रस्ट

साक्षीगण

1— नाम— राम दुलार यादव S/o स्व श्री दुगपाल यादव
पता— ग्रा० सरहरा पो० बरहीकला मीरजापुर

2— नाम— योगेश कुमार यादव S/o श्री चन्द्रिका सिंह यादव
पता— ग्रा०- सरहरा पो०- बरहीकला मीरजापुर

दिनांक— 23-2-07 टंकणकर्ता मसविदाकर्ता
(हस्ताक्षर) एडवोकेट

(हस्ताक्षर)

6३४५
१००

प्रमोद कुमार सोनी
(स्टाम्प विक्रेता का पूरा नाम)
लाइसेंस नम्बर-3
लाइसेंस की अवधि ....
अधिकृत विक्रय करने का स्थान व पूरा पता
उप निबन्धक कार्यालय लालगंज-मीरजापुर

23-2-08 2
369

Scanned with OKEN Scanner